कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण महानिदेशालय (वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ') भर्ती नियम, 2011 के अधिक्रमण में, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में 'मल्टी टास्क स्टाफ' के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, बहु-उद्देशीय कर्मचारी वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है याविवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर (7वीं सीपीसी के अनुसार)	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मल्टी टास्क स्टाफ	54 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (रु.18000-38700)	लागू नहीं	आयू सीमा 18 से 25वर्ष के मध्य। **नोट:** आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य आवश्यक योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों पर लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है तो	भर्ती की पद्धति-पदोन्नति के माध्यम से या प्रतिशत के माध्यम से/प्रतिनियुक्ति पदों को विविध पद्धतियों से भरा जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण	लागू नहीं	लागू नहीं	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती

प्रतनियुक्ति भर्ती के मामले में/ पदोन्नति के लिए शामिल ग्रेड/ प्रतिनियुक्ति/शामिल किया जाना	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श करना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति :- 1. उप सचिव/निदेशक : अध्यक्ष 2. उप निदेशक / अवर सचिव : सदस्य 3. अवर सचिव : सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. डीजीटी-ए-12018/1/2022-Estt. II]

ईश्वर सिंह, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

New Delhi, the 16th November, 2023

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Employment and Training Ministry of Labour and Employment (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011,except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ,Directorate General of Training, Multi Tasking Staff Group 'C'post Recruitments Rules 2023.

   (2) they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix-** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt, any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may ,by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	**No. of posts**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix (As per 7th CPC)**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruitment**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
MULTI TASKING STAFF	54 *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-38700)	Not applicable	Between 18 and 25 years **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes**	**Period of Probation, if any**	**Method of recruitment whether Direct Recruitment or by deputation/promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Matriculation or equivalent pass from any recognized board	Not applicable	Two years	By direct recruitment .

In case of recruitment deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) Consisting of :-** **1.** Deputy Secretary or Director : Chairman; 2. Deputy Director/Under Secretary : Member 3. Under Secretary : : Member	Not applicable

[F. No. DGT- A-12018/1/2022-Estt. II]

ISHWAR SINGH, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.06 20:09:59 +05'30'